



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय :
भोपाल

**ई-नीलामी
की सूचना**

परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्णगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक /प्रलक्षित कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसी है और जो है जैसी है" के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक 24.01.2024 को बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

खाते / ऋणी का नाम	बंधक संपत्तियों का विवरण एवं संपत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस दि. कब्जा दिनांक बकाया राशि	आरक्षित मूल्य ^{धरोहर राशि बिड वृद्धि राशि}
----------------------	---	--	---

गुजरात शास्त्रा, भोपाल

ऋणी- मेसर्स आर. के. इण्टरप्राइजेस, प्रोपराइटर- श्री दिनेश वसंत लिखार जमानतदार- श्रीमती शोभा श्रीवास्तव पत्नि श्री महेशचंद्र श्रीवास्तव	एक ऑफिस नं. - 06, प्लाट नं. 191बी, प्रथम तल मानस परिसर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग स्थित एम.पी. नगर, जोन-1, वार्ड नं. 43, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल क्षेत्रफल- 36.24 वर्गमीटर संपत्ति मालिक- श्रीमती शोभा श्रीवास्तव पत्नि श्री महेशचंद्र श्रीवास्तव चर्चुसीमाएं- उत्तर- कॉमन पैसेज एवं सीढ़िया, दक्षिण- अन्य की संपत्ति, पूर्व- ऑफिस नं.-07, पश्चिम- ऑफिस नं.-05	30/09/2022 19/12/2022 ₹ 2651290/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे	₹ 29,24,000/- ₹ 2,92,400/- ₹ 25,000/-
--	--	---	---

ईएमडी जमा करने की दिनांक एवं समय : 23.01.2024 को सायं 4.00 बजे या उससे पूर्व
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 24.01.2024 को सुबह 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट

www.centralbankofindia.co.in अथवा <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> देखें।

तारीख : 04.01.2024, स्थान: भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - BHOPAL

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 24.01.2024
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
24.01.2024 समय - प्रातः 10.00 बजे से साँच्य 6.00 बजे तक	23.01.2024 साँच्य 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसी है" तथा "बिना किसी शिकायत" के आधार पर तथा सरकेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
2. नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार - दिनांक 24.01.2024 को (समय : प्रातः 10.00 बजे से साँच्य 6.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि के बाल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
3. विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएं व ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> है।
4. निविदाकर्ता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर विजिट कर सकते हैं जहां निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं। निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीदार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वालेट में अंतरित करना - ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।
कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।
5. ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीसी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी, ए.जी.सी. बोस रोड, कोलकाता-700020 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीदारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <http://ibapi.in> और <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

2024 अप्रैल
09/01/2024

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
3305322477	REGIONAL OFFICE EMD COLLECTION AC	CBIN0283312 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, Arera Hills, Bhopal

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने

- गाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

 14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
 15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकर/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
 16. सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प छ्यटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियाँ, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

~~200709 200721 25
09 01 2024~~

17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
18. सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है. निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है). आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com>, www.ibapi.in और www.Centralbankofindia.co.in पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृतशर्तें एवं दशाओं का अध्ययन करें।
21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्यों कि न सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबंधित शाखा – गुलमोहर, भोपाल मो. 7024115041, से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यविधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री ए पी सिंह मो. 7024173569 एवं श्री मुकेश राठौर मो. -7024115011, क्षेत्रीय कार्यालय, Bhopal, ईमेल- recvbhopro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों में कार्यविधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : भोपाल
दिनांक : 09.01.2024

ऋणात्मक दस्तावेजों के संबंध में विवरण दिया गया है।
कृते सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
09/01/2024

9, ARERA HILLS, JAIL ROAD, BHOPAL PIN - 462011, M.P.

Ph. 0755-2576028, 2674049, 7024115013, email – recvbhopro@centralbank.co.in